

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक :- प.1(1)कार्मिक/2012/1955


दिनांक : 26/8/12

कार्यालय आदेश

संचालक मण्डल की 216वीं बैठक के विचार बिन्दु संख्या 216.47 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार मण्डल में प्रथमतः वर्कचार्ज/तदर्थ/दैनिक वेतनभोगी पर नियुक्त ऐसे कर्मचारी जिनका बाद में समय-समय पर सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित रूप से चयन हो चुका है की सेवानिवृत्ति पर उनकी नियमित सेवाओं से पूर्व की सेवा अवधि को केवल पेंशन गणना हेतु शामिल किया जावेगा।


उक्त आदेश निर्णय पारित होने की दिनांक 16.08.2012 से प्रभावी होंगे। इससे पूर्व निष्पादित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा।

उक्त आदेशों को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


(के.के. शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राज.आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मु.ले.अधिकारी, राज.आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता-.....राज.आवासन मण्डल,.....।
4. व.लेखाधिकारी, भुगतान/पेंशन/वित्त/पीएफ/गोपनीय/एसीआर प्रको., राआम, जयपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... राज.आवासन मण्डल,.....।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-.....राज.आवासन मण्डल,.....।
7. संबंधित प्रकोष्ठ.....
8. रक्षित पत्रावली।


(के.के. शर्मा)
सचिव

216th Board Meeting Dated 16-08-2012